

आदेश

डा0 हरिनारायण सिंह, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना जो दिनांक 31.08.2019 को सेवा निवृत्त हो रहे हैं, के फलस्वरूप बिहार सरकार, सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप बीमा पुरानी योजना 79 एवं नयी योजना 1997 के अन्तर्गत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4185/वि0 दिनांक 13.7.1985 की कंडिका 5 एवं अधिसूचना संख्या 2757/वि0 दिनांक 27.04.1998 के द्वारा निर्गत नियमावली के नियम 4(10) 8(1) एवं फैक्स संवाद 2685/वि0 (2) दिनांक 22.4.1998 के आलोक में कुल रूपये 3,14,631/- (तीन लाख चौदह हजार छः सौ एक्तीस) मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2) उपर्युक्त संकल्प एवं अधिसूचना तथा नियमों के अन्तर्गत डा0 हरिनारायण सिंह अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि तक योजना के सदस्य रहेंगे तथा बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप योजना एवं सरकारी कर्मचारी ऐच्छिक ग्रुप बीमा योजना में आदेशानुसार समय-समय पर निर्धारित दर क्रमशः 20/- 80/- एवं 120/- रूपये की दर से अंशदान के रूप में अपने वेतन से भुगतान करते रहे हैं जिसका व्याज सहित गणना निम्न प्रकार की जाती है :-

		मूलधन	ब्याज	कुल योग	
(i)	पुरानी ग्रुप बीमा योजना	-	13320	242531	255851
(ii)	नयी ग्रुप बीमा योजना	-	21588	37192	58780
	कुल योग	-	34908	279723	314631

कुल 3,14,631/- (तीन लाख चौदह हजार छः सौ एक्तीस) रूपये मात्र ।

3) यह बजट शीर्ष-8011-बीमा एवं पेंशन निधियों राज्य सरकार के बीम निधि (व्यय) 105 राज्य सरकार बीमा निधि (1) से विकलनीय होगी ।

4) वर्णित राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा करने के पश्चात डा0 हरिनारायण सिंह, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को उनके भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या-एस0बी0आई0 खाता सं0 11082146862 के माध्यम से सितम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह में भुगतान किया जायेगा ।

5) इस राशि की निकासी विपत्र कोड संख्या-एल-8011001050001 से की जाएगी।

ह0/-

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक- 6/8/2019

ज्ञापांक-

921(3)

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा0 हरिनारायण सिंह, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना । पत्राचार का पता-ग्राम/मोहल्ला-पोखरिया (काली स्थान के निकट), डाकघर-बेगूसराय, थाना-बेगूसराय, जिला-बेगूसराय, बिहार, पिन-851101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

06.8.2019

सरकार के संयुक्त सचिव